



Handwritten notes in red ink, including the number '29' and some illegible scribbles.

Handwritten notes in red ink, including the number '23' and some illegible scribbles.

नेवाला दाता :- श्री सश्री दे वल्द र्क भीरवारी दे जाति सुविन कर्ण/न
पेशा खेती शा. थाना पास प्रजना स्वशपेल जिला धनबाद ।

नेवाला गृहला :- श्री मनी लिला देवी पर्वी श्री कामेश्वर प्रसाद
जाति काभरथ पेशा खेती (गृहस्त्री) शा. थाना पास प्रजना
स्वशपेल जिला धनबाद ।

विक्रय नेवाला दलील मूल्य 300) नील सौ
रुपया मौजा पास कन्दर १३ डि स्वारीज
जमा 1) धर आना । मौलाका जमादाइ केशर
अरकर ।

अपभिल जिला धनबाद योत्री सव रजिस्ट्री मौकिल धनबाद
थाना पास प्रजना स्वशपेल अधिन 20 नं. थाना मौला
पास कन्दर रैथली जमाई सत्याप १ डि नं. खलाकान सामार
लौट नं ६८३२ वास्तु वादी रुकवा २५ डि भुंजे
लौट का उत्तर २२५ १३ डि तेरुद डिस्माल जिलरी सुव
उत्तर - नील दू ३३ लौट का वाची जमान पुं नील
पं. काबुलाल कठिरी ।



युंके विद्यय केवाला दलील विवरण है कि मुझे अपनी आवइपत्र इपरी से लिए रुपये की सरक जरूरतें का जाने पर मैने अपना खाश दरकली लफडाल प्रकाशित सम्पती बेचने का प्रस्ताव किया। तथा आपने उसे सम्पोदित सर्वोच्च मूल्य ३००) तेल सौ रुपया में खरीदने से लिए राजी हुए। अतः मै मूल्य का पूरा तथा एक साथ पाकर जमीन आप से छुट गयी। आज से आप उक्त जमीन का सलाना खारीज लगान १) यह माना के हिसाब से सालाना मौलिक जमींदार विहार सरकार का कर्ज देना मेरा नाम खारीज तथा आप अपना नाम से दरकील खारीज करवा लेंगे। आज से आप उक्त जमीन अपनी निज जोत से या प्रजा विली बन्दोकरत मादि द्वारा तथा उसमें गृह इमारतदी कुंआ, परधाना बनान बगीचादि देवार पूरिस दान, विद्यय इत्यान्तर मादि हर प्रकार का मौलिक बनकर वंश परम्परा में परम सुख से मोग दरकल करते रहेंगे। इसमें मेरा या मेरे उत्तराधिकारीयों में से किसी का कुछ भी हक और अधिकार न होगा। और करने पर भी नाजायज समझा जायगा। मै प्रतिष्ठा करता हूँ कि उक्त जमीन पर मेरा हक और अधिकार निर्विकार है तथा इस पर किसी प्रकार का गार बही है। किन्ती वेजा कुछ हुवे रह गया हो तो मै तथा मेरे उत्तराधिकारी आप का पूरा पूरा कोति पूरि काय्ये होंगे। अतः अपनी शरीर और मन की खरखपता में मूल्य सपया उक्त एक साथ पाकर यह विद्यय केवाला दलील सम्पादन करे दिया जिससे समय पर काम काये। इति ईं रात १५दि १५दि उनेस सौ वास आल ता: १६ मार्च।

राजेंद्र प्रसाद
 राजेंद्र प्रसाद

यह को दलील परवर चुनाया।
 लिखिका: इत्यादि २५/३१ विहारी प्रान्त
 Governmēt of Bihar
 Rajendra Nath Singh of Shekhar.



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Jharkhand
e-Stamp

Certificate No. : IN-JH21645497053031R
 Certificate Issued Date : 23-Sep-2019 05:51 PM
 Account Reference : CSCACC (GV)/ jhcsceg07/ JH-BKGAN0403/ JH-BK
 Unique Doc. Reference : SUBIN-JHJHCSCEG0730087118138502R
 Purchased by : KANCHAN SINHA AND OTHERS
 Description of Document : Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement
 Property Description : LAND AGREEMENT
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : KANCHAN SINHA AND OTHERS
 Second Party : ASHOK KUMAR SINHA AND OTHERS
 Stamp Duty Paid By : KANCHAN SINHA AND OTHERS
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



D.D.B.A. 15054
 SL. No. 2879
 Date 24/09/19



राम कुमार सिन्हा
 Krishna Kr Sinha
 Ashok Kumar Sinha
 Binay Kumar Sinha

पारिवारिक बंटननामा सह एकरारनामा

Kanchan Sinha

यह पारिवारिक बंटननामा सह एकरारनामा आज दिनांक 24/09/2019 को निम्न पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया जा रहा है:-

1. श्री राम कुमार सिन्हा, आधार संख्या- 9676 2340 8487
 2. श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, आधार संख्या- 8546 5985 5250
 3. श्री कंचन सिन्हा, आधार संख्या- 0003491580



3. श्री अशोक कुमार सिन्हा, आधार संख्या- 6674 0155 8942

सभी पुत्र स्व० लीला देवी एवं स्व० कामेश्वर प्रसाद,

4. बिनय कुमार सिन्हा, आधार संख्या- 9537 8778 1477, पिता- स्व० अनन्त कुमार सिन्हा तथा पौत्र स्व० लीला देवी एवं स्व० कामेश्वर प्रसाद

5. श्रीमती कंचन सिन्हा, 3713 1199 5997, पति- स्व० शिव कुमार सिन्हा, तथा पुत्रवधु स्व० लीला देवी एवं स्व० कामेश्वर प्रसाद

सभी निवास स्थान, इस्पात कॉलोनी, चास, पो० एवं थाना- चास, जिला- बोकारो, झारखण्ड- 827013

विवरण:- मौजा- चास, थाना नं०- 30, पो० एवं थाना- चास, जिला- बोकारो में स्थित खाता नं०- 198, प्लॉट नं०- 6832, कुल रकवा- 13.5 डिसमील जमीन।

जबकि, उपरोक्त वर्णित भूमि हमारी माँ/दादी/सास स्व० लीला देवी के नाम से है, जो श्री सष्टी दे, पिता- स्व० भीखारी दे, जाति- सुवर्ण बनिक, पेशा- खेती, थाना- चास, जिला- बोकारो से दलील संख्या- 3222, दिनांक- 16/04/1962 के माध्यम से निबंधित खरिदी गई सम्पति है।

एवं जबकि, माँ एवं पिताजी के स्वर्ग वास होने के पश्चात् मातृ सम्पति होने के कारण यह भूमि पर हम सभी पाँचो भाई के अधिकार में आ गया। जिसका माल-गुजारी रसीद हम पाँच भाई के नाम से कटता आ रहा है। पाँचों भाईयों का नाम निम्न वर्णित है:- 1. स्व० अनन्त कुमार सिन्हा, 2. श्री राम कुमार सिन्हा, 3. श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, 4. स्व० शिव कुमार सिन्हा, 5. श्री अशोक कुमार सिन्हा।

यह कि, उपरोक्त वर्णित हम पाँचों भाईयों में से क्रम संख्या- 01 और क्रम संख्या- 04 में लिखित भाईयों का चूँकि देहान्त हो चुका है इसलिए उपरोक्त कुल जमीन को उपरोक्त क्रम संख्या- 02, 03 एवं 05 में लिखित हम तीनों भाईयों एवं श्री बिनय कुमार सिन्हा पुत्र स्व० अनन्त कुमार सिन्हा तथा श्रीमती कंचन सिन्हा, पति- स्व० शिव कुमार सिन्हा द्वारा आपसी विचार- विमर्श तथा निष्पक्ष सहमती के आधार पर उपरोक्त वर्णित कुल भूमि को पांच भागों में बांट लिया गया। कुल भूमि के बंटवारा संबंधित पूर्ण विवरण निम्न वर्णित है।

श्री अशोक कुमार सिन्हा
Kashima Kr Sinha
Ashok Kumar Sinha

Binay Kumar Sinha
Kanchan Sinha

By
Ramesh Chandra
Adv.
23.9.19





1. यह कि, कुल भूमि का अगला भाग जो पूरब की ओर (मोहल्ले का मुख्य रास्ता) है। को तीन भागों में बांटा गया है, यह कि मुख्य सड़क से दक्षिण की ओर श्रीमती कंचन सिन्हा, पति- स्व० शिव कुमार सिन्हा का हिस्सा आया। जिसका कुल रकवा- 2.74 डिसमील (दो दशमलव चौहत्तर डिसमील) जिसके उत्तर की ओर 77 फीट, दक्षिण की ओर 82 फीट 8 इंच तथा पूरब की ओर 14 फीट 8 इंच और पश्चिम की ओर 14 फीट 8 इंच है। जिसकी चौहद्दी पूरब- मोहल्ले की मुख्य सड़क, पश्चिम- श्री राम कुमार गुप्ता का मकान, उत्तर- श्री अशोक कुमार सिन्हा की जमीन एवं श्री बिनय कुमार सिन्हा की जमीन, दक्षिण- देव चन्द्र शाह एवं प्रकाश होटल वाले का मकान है। घरेलु नक्शा में श्रीमती कंचन सिन्हा के हिस्से को 'E' दर्शाया गया है।

राम कुमार सिन्हा
Kanchana Sr Sinha
Ashok Kumar Sinha

2. यह कि, मुख्य सड़क से मध्य में अशोक कुमार सिन्हा पुत्र स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद का हिस्सा आया, जिसका कुल रकवा- 2.058 डिसमील है, जिसके पूरब की ओर 25 फीट 03 इंच, पश्चिम की ओर- 25 फीट 03 इंच, उत्तर की ओर 35 फीट 06 इंच तथा दक्षिण की ओर 35 फीट 06 इंच है जिसकी चौहद्दी: पूरब- मोहल्ले का मुख्य सड़क, पश्चिम- श्री बिनय कुमार सिन्हा का जमीन, उत्तर- 8 फीट रास्ता, दक्षिण- श्रीमती कंचन सिन्हा का जमीन है। घरेलु नक्शे में श्री अशोक कुमार सिन्हा के हिस्से को 'C' से दर्शाया गया है।

Binay Kumar Sinha
Ram Chandra Sinha

3. यह कि, मुख्य सड़क की ओर से उत्तर की तरफ कृष्ण कुमार सिन्हा, पिता- स्व० कामेश्वर प्रसाद का हिस्सा का जमीन आया, जिसका कुल रकवा- 2.058 डिसमील है, जिसके पूरब की ओर 25 फीट 03 इंच, पश्चिम की ओर- 25 फीट 03 इंच, उत्तर की ओर 35 फीट 06 इंच तथा दक्षिण की ओर 35 फीट 06 इंच है, जिसकी चौहद्दी:- पूरब- मोहल्ले का मुख्य रास्ता, पश्चिम- श्री राम कुमार सिन्हा

by
Ramendra Pandey
23.9.19

का जमीन, उत्तर- 4 फीट का रास्ता एवं दक्षिण- 8 फीट का रास्ता। घरेलु नक्शा में कृष्ण कुमार सिन्हा के हिस्से के जमीन को "D" से दर्शाया गया है।





4. यह कि, मुख्य सड़क से पूर्णतः पश्चिम की ओर राम कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. कामेश्वर प्रसाद के हिस्से का जमीन आया। जिसका कुल रकवा 2.4061 डिसमील (दो दशमलव चार शून्य छः एक डिसमील) जमीन है। पूरब की ओर 25 फीट 3 ईंच, पश्चिम की ओर 25 फीट 3 ईंच, उत्तर की ओर— 41 फीट 6 ईंच तथा दक्षिण की ओर 41 फीट 6 ईंच है। जिसकी चौहद्दी:— पूरब— कृष्ण कुमार सिन्हा का जमीन, पश्चिम— श्री राम गुप्ता का मकान, उत्तर— 4 फीट का रास्ता तथा दक्षिण— 8 फीट का रास्ता है। घरेलु नक्शा में श्री राम कुमार सिन्हा के हिस्से की जमीन को "A" में दर्शाया गया है।

श्री राम कुमार सिन्हा
Kishore Kumar Singh
Abheer Kumar Singh

5. यह कि, मुख्य सड़क से पूर्णतः पश्चिम की ओर श्री विनय कुमार सिन्हा, पुत्र स्वर्गीय अनन्त कुमार सिन्हा का जमीन आया, जिसका कुल रकवा— 2.4061 डिसमील (दो दशमलव चार शून्य छः एक डिसमील) जमीन है। जिसकी पूरब की ओर 25 फीट 3 ईंच, पश्चिम की ओर 25 फीट 3 ईंच, उत्तर की ओर— 41 फीट 6 ईंच तथा दक्षिण की ओर 41 फीट 6 ईंच है। जिसका चौहद्दी: पूरब— श्री अशोक कुमार सिन्हा का जमीन, पश्चिम— श्री राम गुप्ता का मकान, उत्तर— 8 फीट का रास्ता, दक्षिण— श्रीमती कंचन सिन्हा का जमीन है। घरेलु नक्शा में श्री विनय कुमार सिन्हा के हिस्से के जमीन को "B" में दर्शाया गया है।

श्री विनय कुमार सिन्हा
Kanchan Simha

6. यह कि, बीच में जो 8 फीट का सार्वजनिक रास्ता (घरेलु नक्शे में दर्शाये गये केवल 'A', 'B', 'C', 'D' परिवार के लिए सार्वजनिक रास्ता) है, इसमें सेपटी टैंक का निर्माण होगा लेकिन यदि किसी परिवार की इच्छा हो कि सेपटी टैंक का निर्माण बंटवारे के अनुसार निजी जमीन पर करना हो तो वो स्वतंत्र है अर्थात् सेपटी टैंक के निर्माण हेतु 8 फीट के सार्वजनिक रास्ता का प्रयोग करने के लिए कोई परिवार बाध्य नहीं है। 8 फीट के सार्वजनिक रास्तों में श्रीमती कंचन सिन्हा का कोई अधिकार नहीं होगा अर्थात् श्रीमती कंचन सिन्हा 8 फीट के सार्वजनिक रास्ते का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं करने के लिए बाध्य है। 8 फीट के सार्वजनिक रास्ते में घरेलू नक्शों में वर्णित 'A', 'B', 'C', 'D' के हिस्से के जमीन के परिवार यथासंभव अपने- अपने जमीन के सामने ही अपने निजी व्यवहार में लाने

by
Ramadas Pandey
Adv.
23.3.19



संबंधित चिजों को रखेंगे जैसे कार, मोटरसाईकिल अन्य वाहन या निजी व्यवहारित कोई भी वस्तु वो अपने जमीन के सामने ही रखेंगे न की किसी अन्य के जमीन के सामने। रास्तेवाली उक्त 8 फीट की जमीन पर किसी भी प्रकार का नवनिर्माण नहीं होगा जैसे रसोई घर, भंडार गृह, मंदिर इत्यादि का निर्माण नहीं होगा।



7. यह कि, भविष्य पाँचों परिवार में से कोई परिवार अपने सम्पत्ति/जमीन को बेचना चाहता हो तो सर्वप्रथम वे शेष बचे चारों परिवारों को ही अपने हिस्से की जमीन को बेचने का प्रस्ताव देंगे तथा बेचने पर जमीन के मूल्य निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार विक्रेता स्वयं होंगे। क्रेता परिवार को बिक्री संबंधी प्रस्ताव से अगले 10 दिनों के अन्दर यह लिखित एवं हस्ताक्षरयुक्त प्रति देना होगा कि वे जमीन क्रय करना चाहते हैं या नहीं। यदि 10 दिनों के अन्दर क्रेता लिखित/हस्ताक्षरयुक्त प्रति विक्रेता परिवार को नहीं देते हैं तो यह समझा जायेगा और मान लिया जाएगा कि शेष बचे चारों परिवारों में से कोई भी परिवार जमीन को नहीं खरीदना चाहते है। वैसी स्थिति में विक्रेता परिवार अपने इच्छानुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति का अपने हिस्से की जमीन को स्वयं निर्धारित मूल्य पर बेचने को पूर्ण स्वतंत्र होंगे। 8.

यह कि, यह पारिघारिक बंटवारा हम सभी भाई एवं परिवार के सभी सदस्यों ने आपसी सहमति से किया गया। जो सभी को मान्य है एवं मानने के लिए बाध्य है। उपरोक्त बातें पाँचों परिवारों पर लागू होगा।

8. सह कि उपरोक्त चारों परिवार यदि अपने हिस्से की जमीन को शेष बचे परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को बेचते है तो पारिघारिक बंटवारे से प्राप्त अपने हिस्से की जमीन को ही बेच सकते है। 8 फीट के सार्वजनिक रास्ते के जमीन के किसी भी भूभाग को बेचने का अधिकार उन्हे किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। अर्थात् उपरोक्त चारों परिवार अपना- अपना निजी हिस्से की जमीन को ही बेच

by
Ramesh K. Pandey
HCU
23.9.19
सकते है।



यह कि, उपरोक्त पारिघारिक बंटवारा हम सभी तीन भाई श्री अशोक कुमार सिन्हा, श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, श्री राम कुमार सिन्हा, सभी के पिता- स्व0 कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री विनय कुमार सिन्हा, पिता- स्व0 अनन्त कुमार सिन्हा तथा श्रीमती कंचन

सिन्हा, पति- स्व0 शिव कुमार सिन्हा एवं उपरोक्त पांचों परिवार के सभी सदस्यों के आपसी सहमती से किया गया है, जो परिवार के सभी सदस्यों को मान्य है एवं मानने के लिए बाध्य है।

यह कि हम सभी तीनों भाई, श्री बिनय कुमार सिन्हा, श्रीमती कंचन सिन्हा तथा पांचों परिवार के सभी सदस्य इस बंटनामा एकरारनामा को बिना किसी दबाव के सुख एवं साफ तथा शांत चित एवं स्वस्थ दिमाग से अपना- अपना हस्ताक्षर सभी गवाहों के समक्ष कर दिया जो भविष्य में हम सबों का काम आवे। अगर भविष्य में कोई परिवार उपरोक्त बंटननामा / एकरारनामा पर अपनी अस्हमती या आपत्ति जताता है तो वह पूर्णतः अमान्य होगा एवं इसपर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

गवाहों का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

1.

1. राम कुमार सिन्हा

2.

2. Krishna K. Sinha

3.

3. Ashok Kumar Sinha

4. Binay Kumar Sinha

5. Kanchan Sinha

पक्षकारों का हस्ताक्षर

4.

by
Ramesh Chandra Pandey
Adv.
23.9.19

5.

बंटननामा जमीन का नक्शा साथ में संलग्न है

24/09/19
C. B. SINGH
NOTARY PUBLIC
CIVIL COURT, BOKARO
LICENCE NO -325/2008

